कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जलडेगा।

अति अल्पकालीन निविद आमंत्रण सूचना संख्या 01/2020–21 एवं 02/2020–21

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :–

	विभाग	योजना विभाग, सिमडेगा
1	विज्ञापनदाता का नाम	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यालय, जलडेगा।
2	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि	दिनांक 10.02.2021 (कार्यालय अवधि में)
3	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.02.2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक।
4	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.02.2021 को अपराह्न 3.00 बजे ।
5	परिमाण विपत्र के बिक्री का स्थान	प्रखण्ड कार्यालय, जलडेगा।
6	निविदा प्राप्ति का स्थान	प्रखण्ड कार्यालय, जलडेगा।

7 कार्य की विवरणी

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र मुल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	जलडेगा प्रखण्ड अन्तर्गत मेन रोड से प्रखण्ड मुख्यालय तक 250 फीट पी0सी0सी0 पथ के साथ गेट निर्माण	10,60,000.00	21,500.00	3,500.00	3 माह
2	जलडेगा प्रखण्ड अन्तर्गत प्रखण्ड आवास के समीप पी0सी0सी0 पथ निर्माण	12,10,000.00	24,500.00	3,500.00	3 माह

निविदा शर्तें :–

विशेष शर्त आम शर्तों पर अवक्रण होगा।

परिणाम विपत्र क्रय हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करना होगा।

Scanned with CamScanner

1. भवन निर्माण, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पथ निर्माण , जिला परिषद एवं ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगे। परिमाण विपत्र के क्रय हेतु निबंधन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट होगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जलडेगा के पदनाम से देय होगा।
3. कार्य आवंटन में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. कार्य आवंटन में समुचित श्रेणी के संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
5. निविदादाता को योजना से संबंधित Work Programme देना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
7. निविदा के साथ जमा की जानेवाली अग्रधन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है। डाकघर के 05 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र या 3/5 वर्षीय की डाकघर सावधि जमा पासबुक या बैंक सावधि जमा पासबुक समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जलडेगा के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।
8. निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. डीजल, पेट्रोल अथवा कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की कीमत में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
10. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
11. निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लघु खनिजों की आपूर्ति संवेदक को वैद्य श्रोत से सुनिश्चित करना अनिवार्य है, एवं एतद विषयक खनिज विभाग द्वारा जारी स्वामित्व अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. समुचित गुणवता वाली निर्माण सामग्री यथा – सीमेन्ट, छड़, गिट्टी, बालू इत्यादि निर्माण सामग्री की व्यवस्था भी संवेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। प्रखण्ड कार्यालय किसी भी निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं करेगी न ही किसी अन्तर मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
13. परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम दर से नीचे का दर मान्य नहीं होगा।
14. निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा वे कार्य सबलेट नहीं करेंगें।
15. कार्य आवंटित होने के पश्चात् सात दिनांक के अन्दर एकरारनामा प्रस्तुत कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा निविदा को रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. बिना कारण बताये ये सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार या एक से अधिक संवेदक को कार्य आवंटन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

Scanned with CamScanner

17. निविदा के साथ आधार कार्ड, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 रिर्टन प्रमाण पत्र (03 वर्षों का) एवं पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18. निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगें।

19. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार राशि की कटौती कर ली जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि मान्य होगा।

20. 01 प्रतिशत राशि लेबर शेष वेलफेयर फण्ड हेतु विपत्र से कटौती किया जायगा, जो वापस देय नहीं होगा।

21. आयकर एवं बिक्री कर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जायगी जिसका सर्मपण एवं वापसी का प्रकिया संबंधित विभाग से भी करा सकेंगें।

22. योजना प्रारंभ करने से पूर्व योजना के कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत स्थल का Geotagged फोटोग्राफी कराकर संवेदक तीन–तीन प्रतियों में कार्यालय में (अपनी लागत से) समर्पित करेंगें।

23. कार्यान्वित की जा रही योजना का स्थल का सुगोचक स्थान पर एक सूचना पट्ट लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम एवं पूरी विवरणी अंकित की जाएगी।

9/2/2021.

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
जलडेगा।

ज्ञापांक 216(ii) दिनांक 09-02-2021

प्रतिलिपि :– जिला योजना पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।

9/2/2021.

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
जलडेगा।

Scanned with CamScanner